

107 दंडाधिकारी

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

लाका मुन्डा  
वामा  
राजेश समदे

M-47/2017 आदेश पत्रक

26/5/17

अभिलेख संख्या :- एम. 47 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी अडकी के अपराथमिकी संख्या :- 1/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-



181  
26/5/17

जिससे संभव है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं ..... अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 8/6/17 को उपस्थापित करें।

(सहस्र)  
अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

11/3/19	उभय पक्ष सहमत। दिनांक 25/03/19 एवं खर्च
25/03/19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 15/04/19 एवं खर्च
15/4/19	उभय पक्ष सहमत। दिनांक 23/4/19 एवं खर्च
	 15.04.19
23/4/19	उभय पक्ष सहमत। दिनांक 13/05/2019 एवं खर्च
13/05/19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 01/06/19 एवं खर्च
01/06/19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 29/06/19 एवं खर्च
29/06/19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 20/7/19 एवं खर्च
20/7/19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 17/08/19 एवं खर्च
17/08/19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 21/09/19 एवं खर्च
21/09/19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 22/10/19 एवं खर्च
	 21.09.19
22.10.19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 30.11.19 एवं खर्च
30.11.19	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 28/12/19 एवं खर्च
	सन्तान की वीर जोर के लिए वारिसों की मांग है। 21/12/19